Hindustan Edition Delhi
6.2.2017 Page 11
Height 20.36cm Width 25.81 cm

# आधार से टैक्स का ई-सत्यापन आसान

नई दिल्ली | बिजनेस डेस्क

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया में सत्यापन महत्पपूर्ण है। आईटीआर की प्रक्रिया तबतक पूरी नहीं होती है जबतक कि आपके द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर का सत्यापन पूरा न किया गया हो। परंपरागत तरीके को देखें तो अबतक आईटीआर का सत्यापन डाक से आईटीआई-5 फॉर्म भेज कर होता है, या डिजिटल हस्ताक्षर का मिलान किया जाता है। लेकिन अब आयकर विभाग ने ई-सत्यापन के कई तरीकों की अनुमति दे दी है जिससे यह काफी आसान और सुविधाजनक हो गया है। अब आपका आईटीआर सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) जेनरेट कर किया जा सकता है। अगर आप अपने रिटर्न का सत्यापन ईवीसी के माध्यम से करते हैं तो आपको अब आईटीआई-5 फॉर्म डाक से भेजने की जरूरत नहीं होगी। ईवीसी दस संख्या (अक्षरांकीय) का कोड है जो पैन नंबर की तरह होता है। एक ईवीसी कोड सिर्फ एक रिटर्न को सत्यापित कर सकता है। अगर आप आयकर रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो आपको फिर से दूसरा कोड जेनरेट करना होता है। यह कोड कई तरीकों से जेनरेट (सृजित) किया जा सकता है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं।

इलस्ट्रेशन : सुदर्शन मल्लिक

## नेट बैंकिंग के माध्यम से

आयकर विभाग के द्वारा कई बैंकों को सरकार के ई-फीलिंग वेबसाइट पर सीधे पहुंच के लिए अधिकृत किया जाता है। इसकी पड़ताल आप अपने बैंक से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका स्थायी खाता संख्या (पैन) की जनकारी के वाईसी में होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने नेटबैंकिंग पासवर्ड और लॉग इन की आवश्यकता होती है। जब आप नेटबैंकिंग के माध्यम से लॉग इन करते हैं और **www. incometaxindiaefiling. gov. in** पोर्टल पर पहुंच के लिए निवेदन (रिक्वेस्ट) करते हैं, तब आप ईवीसी जेनरेट कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखता है और यह आपके पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर भी चला जाता है। अब आप इस कोड से आईटीआर का ई-सत्यापन कर सकते हैं।

## आधार ओटीपी से सत्यापन

आधार से आयकर रिटर्न का सत्यापन भी सरकार की ई-फीलिंग पोर्टल **www. incometaxindiaefiling. gov. in** से ही किया जाता है। यहां इस पोर्टल पर आपको अपना आधार नंबर लिंक कराना होता है और फिर इसे पैन नंबर से जोड़ा जाता है। जब आधार कार्ड लिंक होता है तो आपके पंजीकृत फोन पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। तब इसी ओटीपी का इस्तेमाल आप रिटर्न के ई-सत्यापन के लिए करते हैं। सरकार ने आयकरदाताओं से आईटीआर में आधार नंबर की जानकारी देने के लिए कहा है। ध्यान रहे कि सिर्फ आधार नंबर की जानकारी रिटर्न में दे देना ई-सत्यापन पर मुहर नहीं लगाता है। आपको उपर्युक्त प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है।

## एटीएम से भी है सुविधा

आप अपने आयकर रिटर्न का ई-सत्यापन एटीएम से कोड जेनरेट कर भी कर सकते हैं। इसमें कई बैंक आयकर विभाग के साथ यह सुविधा प्रदान करने के लिए जुड़े होते हैं। इसमें आप एटीएम से ईवीसी कोड जेनरेट कर सत्यापन करते हैं। इसमें एटीएम के माध्यम से आप अपने बैंक खाते में लॉग इन करते हैं और जेनरेट ईवीसी फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फीलिंग का विकल्प चुनते हैं। इसपर बैंक का सिस्टम आयकर विभाग की वेबसाइट को ईवीसी आयकरदाता के मोबाइल नंबर पर भेजने का निवेदन करता है। इस कोड से आप आयकर रिटर्न के ई-सत्यापन कर सकते हैं। याद रखें यह सुविधा तभी मिलेगी जब आपका बैंक इसके लिए अधिकृत होगा।

### खास बातें

- आधार नंबर, एटीएम और वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की सुविधा है
- परंपरागत तौर पर सत्यापन के लिए आईटीआर-पांच फॉर्म को डाक से भेजना होता है
- ई-सत्यापन के लिए बैंक और आयकर विभाग में मोबाइल नंबर का पंजीकृत रहना जरूरी है
- आप एटीएम से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जेनरेट कर सत्यापन कर सकते हैं

## कर विभाग की वेबसाइट से

अगर करदाता की सालाना आय पांच लाख रुपये या इससे कम है और टैक्स की वजह से उनका कोई रिफंड नहीं होना है तो ईवीसी कोड आयकर विभाग की वेबसाइट **www. incometaxindiaefiling. gov. in** से भी जेनरेट किया जा सकता है। इस तरह के ईवीसी कोड करदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर चला जाता है। हालांकि, यह विकल्प जोखिम आकलन को देखते हुए कई बार प्रतिबंधित भी होता है, इसलिए अगर आप इस विकल्प में असफल रहते हैं तो अन्य विकल्प को अपना रिटर्न का ई-सत्यापन कर सकते हैं।

## आईटीआर-पांच फॉर्म को डाक से भेजकर

अगर आप तकनीकी या अन्य कारणों से उपर्युक्त सभी विकल्प से सत्यापन कराने में असफल हो जाते हैं तो आप परंपरागत तरीके से इसे पूरा कर सकते हैं। यानी आपको आईटीआर-पांच फॉर्म को डाक से भेजना होता है। ध्यान रहे यह आपके ई-फीलिंग से 120 दिनों के अंदर विभाग के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपके आयकर रिटर्न दाखिल कराने की प्रक्रिया को अधूरा माना जाता है और आपको दोबारा से इसे दाखिल करना पड़ सकता है।